मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सिग्नेचर बिल्डिंग, टावर-2, पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।

डीजी परिपत्र संख्या-53/2019 दिनांकःलखनऊःदिसम्बर 19,2019

सेवा में,

1—समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2—समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
3—समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उ0प्र0।

विषयः—बालिकाओं/महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों में धारा 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पीड़िता के बयानों की प्रतियां प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 39538(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 482 द0प्र0सं0)/2019 स्वामी चिन्मयानन्द उर्फ कृष्ण पाल सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा State of Karnataka by Nonavinakere Police Vs. Shivanya @ Tarkari Shivanya, 2014 LawSuit (SC) 374 में पारित निर्णय को उद्धृत किया है, जिसके मुख्य अंश क्रमशः निम्नांकित हैः—

"9. On considering the same, we have accepted the suggestion offered by the learned counsel who appeared before us and hence exercising powers under Article 142 of the Constitution, we are pleased to issue **interim directions in the form of mandamus to all the police station in charge in the entire country to follow the direction of this Court which are as follows:**

(i) Upon receipt of information relating to the commission of offence of rape, the Investigating Officer shall make immediate steps to take the victim to any Metropolitan/ preferably Judicial Magistrate for the purpose of recording her statement under Section 164 Cr.P.C. A copy of the statement under Section 164 Cr.P.C. should be handed over to the Investigating Officer immediately with a specific direction that the contents of such statement under Section 164 Cr.P.C. Section Cr.P.C. should not be disclosed to any person till charge sheet/report under Section 173 Cr.P.C. is filed.

(ii) The Investigating Officer shall as far as possible take the victim to the nearest Lady Metropolitan/preferably Lady Judicial Magistrate.

(iii) The Investigating Officer shall record specifically the date and the time at which he learnt about the commission of the offence of rape and the date and time at which he took the victim to the Metropolitan/preferably Lady Judicial Magistrate as aforesaid.

(iv) If there is any delay exceeding 24 hours in taking the victim to the Magistrate, the Investigating Officer should record the reasons for the same in the case diary and hand over a copy of the same to the Magistrate.

--2

Scanned by CamScanner

(v) Medical Examination of the victim:Section 164 A Cr.P.C. inserted by Act 25 of 2005 in Cr.P.C. imposes an obligation on the part of Investigating Officer to get the victim of the rape immediately medically examined. A copy of the report of such medical examination should be immediately handed over to the Magistrate who records the statement of the victim under Section 164 Cr.P.C.''

2. उपरोक्त से आप सभी अवगत हैं कि विधिक नियमों के अनुसार अपराध पीड़ित बालिकाओं/महिलाओं के बयान 24 घंटे के अन्दर सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर धारा 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान कराये जाने का प्राविधान है। यदि पीड़िता को 24 घंटे के अन्दर सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष विवेचक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उसे केस डायरी में उसका स्पष्ट कारण अंकित करने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त पीड़िता का यथाशीघ्र चिकित्सीय परीक्षण कराये जाने तथा विवेचक द्वारा शीघ्र मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर धारा 164 दं0प्र0सं0 का बयान अंकित करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का भी प्राविधान है।

3. अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त याचिकाओं में धारा 164 दं0प्र0सं0 में पीड़िता के बयान की प्रति उपलब्ध कराये जाने के परिप्रेक्ष्य में पारित निर्णय का भलीभांति अध्ययन कर लें और अपराध गोष्ठियों में विवेचकों तथा जनपदीय अभियोजन अधिकारियों को स्पष्ट दिशा–निर्देश को निर्गत करते हुए उनका अक्षरतः अनुपालन कराना सुनिश्चित करें, जिससे भविष्य में मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े।

(ओ0पी0 सिंह)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रेषितः–

1. पुलिस महानिदेशक, सीबीसीआईडी, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध/रेलवे, उ0प्र0।
3. पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0।
4. पुलिस उपमहानिरीक्षक, एस0आई0टी0, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner